न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5225 / 2002 / भरतपुर

1. कुन्जी पुत्री परमोली
2. बादाम पुत्र रतन
3. केदार पुत्र रतन
4. बिजेन्द्र
5. बहादुर
6. कैला
7. फत्तेह

पिसरान किशन
समस्त जाति गूजर साकिन ग्राम समोगर
तहसील बयाना जिला भरतपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. सिरदार
2. बल्ली
3. रामस्वरूप
4. गरीबा
5. विशन

पिसरान मनभोता जाति गूजर निवासी ग्राम समोगर
तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स असल

6. झमोली पुत्र चतरे
7. घीसोली
8. प्यारे
9. कल्ली

पिसरान शंकर
समस्त जाति गूजर निवासी ग्राम समोगर तहसील बयाना जिला भरतपुर

....तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट
श्री ओंकार लाल दवे, अभि0 रेस्पो0 सं0 1
रेस्पो0 सं0 2 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांक 11–6–2018**

1. यह द्वितीय अपील प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 199/2001 में पारित उस निर्णय व डिक्री दिनांक 24–8–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा सहायक कलक्टर, बयाना द्वारा वाद संख्या 136/98 सिरदार आदि बनाम कुन्जी आदि को खारिज करने के निर्णय दिनांक 29–5–2001 को अपास्त किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया गया है।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की दलील है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के कब्जा काश्त व रिकार्डेड खातेदारी की जमीन आराजी खसरा नंबर 37, 38, 54, 64, 68, 410, 412, 466, 530 एवं 615 वाके ग्राम समोगर में अवस्थित है। संवत् 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स के पूर्वज बतौर गैर मौरूसी काश्तकार काबिज थे। इसी हैसियत से इनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने पर अपीलांट्स को उक्त भूमि की खातेदारी By operation of law स्वतः प्राप्त हो गई थी। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार मानते हुए विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। असल में वादीगण ने दिनांक 18–11–1958 के जिस विक्रय पत्र के आधार पर वाद पत्र पेश किया था, उसके विक्रेतागण भगवत व कैलाशी के पास वादग्रस्त भूमि कब्जा काश्त में नहीं थी बल्कि उन्होंने केवल मालिकाना हक ही क्रेतागण/वादीगण को अन्तरित किये थे। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 92 को आधार बनाकर

भी पारित किया गया है, जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार बयनामा दिनांक 18–11–1958 के आधार पर प्राप्त न होकर By operation of law गैर मौरूसी काश्तकार के आधार पर प्राप्त हुए थे। इस प्रकार विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध होने से काबिले अपास्त हैं। अतः निवेदन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–5–2001 को बहाल रखा जाये।

4. विद्वान अधिवक्ता वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलील का विरोध किया है। उनकी दलील है कि दिनांक 18–11–1958 के विक्रय पत्र के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के पिता ने एवं 1/2 हिस्सा रतन, विशन व कुंजी पिसरान परमोली ने खरीदा था। इस विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 92 ग्राम पंचायत समोगर दिनांक 15–3–1959 को स्वीकृत किया गया है। अतः वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक काबिज रहे हैं तथा उन्हें खातेदारी मुताबिक कानून प्राप्त हुई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अभिवचनों के बाहर जाकर केस प्रतिपादित किया था, जिसकी प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने में त्रुटि नहीं की थी। अतः यह अपील खारिज की जाए। विद्वान अधिवक्ता ने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

(i) 1998 RRD 276 (मोहरपुरी वगैरहा बनाम लोचनसिंह वगैरहा)
(ii) AIR 1987 SC 94 (हरीचन्द बनाम दौलतराम)
(iii) 2004 RRD 501 (रामचरण बनाम स्टेट)
(iv) AIR 2001 SC 1866 (मै0टण्डन ब्रदर्स बनाम स्टेट)

5. उक्त तर्क वितर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सादर अध्ययन किया गया।

6. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स तथा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के पूर्वजों ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक

18–11–1958 को क्रय की थी। ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण ने पेश नहीं की है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व वे वादग्रस्त आराजियात पर गैर मुमकिन खातेदार के रूप में काबिज चले आ रहे थे तथा उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने पर वादग्रस्त आराजियात पर उन्हें By operation of law खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हों। यदि ऐसा होता तो, उन्हें दिनांक 18–11–1958 को वादग्रस्त आराजियात विक्रय पत्र के द्वारा क्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये थे, वह विधि सम्मत नहीं थे तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उन निष्कर्षों को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। उक्त रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर ही दोनों पक्षों के पूर्वजों ने खातेदारी अधिकार व कब्जा प्राप्त किया था। इसी रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण क्रेताओं के पक्ष में तस्दीक हुआ था। उक्त तथ्यों की ताईद प्रतिवादी संख्या 3 केदारनाथ के इकबाली जवाब दावा से भी होती है।

7. जहां तक वाद को देरीना प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इस बाबत इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में तात्विक व विधिक त्रुटि नहीं है। इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपीलांट्स/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील काबिले खारिज है।

8. लिहाजा अपीलांट कुन्जी वगैरहा की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–8–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष